कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राज0,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

अवैध जिप्सम का खनन कर परिवहन करने वालों के खिलाफ पुलिस हुई सख्त

अवैध जिप्सम का खनन कर परिवहन करने वालों के खिलाफ जैसलमेर पुलिस की लगातार कार्यवाही

अवैध जिप्सम परिवहन करने वाले आठ मुलजिमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 9 ट्रेलर/ट्रकों को पुलिस ने किया अवैध जिप्सम सहित जब्त

जयपुर 19 अगस्त। जैसलमेर जिले के पुलिस थाना नोख, नाचना एवं मोहनगढ के द्वारा अवैध जिप्सम का खनन कर परिवहन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर 9 ट्रेलर/ट्रकों को पुलिस ने अवैध जिप्सम सहित जब्त कर एवं कारोबार में लिप्त आठ लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस अधीक्षक जैसलमेर श्री गौरव यादव ने आज जानकारी देते हुए बताया कि अवैध जिप्सम का खनन कर परिवहन करने वालों के खिलाफ कडी कार्यवाही करते हुए थानाधिकारी नोख, नाचना एवं मोहनगढ के द्वारा अवैध जिप्सम के खनन कर परिवहन करने के कारोबार में लिप्त लोगों एवं वाहनों के खिलाफ कार्यवाहिया की गई जिसके अन्तर्गत थानाधिकारी पुलिस थाना नोख प्रेमचन्द उ0नि0 के द्वारा 13 अगस्त,2017 को कार्यवाही करते हुए 2 ट्रक ट्रेलर जब्त करते हुए ट्रक चालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया एवं इस तरह 15 अगस्त,2017 को थानाधिकारी प्रेमचन्द मय जाप्ता द्वारा एक ट्रक बरामद कर चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई तथा बाहरी मात्रा में अवैध जिप्सम बरामद किया गया। इस प्रकार पुलिस थाना नोख के द्वारा अवैध जिप्सम का खनन कर परिवहन करने तीन ट्रेलर /ट्रक को जब्त कर 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर तीन मुकदमें दर्ज किये गये है।

श्री गौरव यादव ने बताया कि इसी प्रकार पुलिस थाना मोहनगढ के द्वारा अवैध जिप्सम का खनन करने वालों के खिलाफ 3 अगस्त,2017 को मगाराम सउनि पुलिस थाना मोहनगढ मय जाप्ता के द्वारा कार्यवाही करते हुए दो वाहन जब्त कर ड्राईवर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई।

उन्होंने बताया कि इसी तरह पुलिस थाना नाचना के द्वारा अवैध जिप्सम की खनन कर पहिवहन करने के कारोबार में लिप्त लोगों एवं वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 5 वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही कर प्रकरण दर्ज किया गया।

राही/ सन्तरा/600/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राज0,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

चलती ट्रेन से फरार हुये बन्दी को किया गिरफतार

जयपुर 19 अगस्त। पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री अनिल कुमार टांक ने बताया कि 5 अगस्त,2017 को थाना रूपबास के हत्या के मुकदमा में गिरफतार अभियुक्त **हुकमसिंह उर्फ हुकमा पुत्र रतनसिंह जाति प्रजापत निवासी बोकोली थाना रूपवास** को तारीख पेशी पर सबजेल बयाना से चालानी गार्ड द्वारा अदालत रूपबास लाया गया था। जो बाद तारीख पेशी न्यायालय रूपवास से पुनः सब जेल बयाना में दाखिल कराने हेतु ट्रेन से ले जाया जा रहा था। उक्त बन्दी वंशी पहाडपुर रेल्वे स्टेशन पर चलती हुई ट्रेन से चालानी गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया था।

श्री अनिल कुमार टांक ने बताया कि उक्त मुलजिम की तलाशी के लिए थानाधिकारी थाना रूपवास श्री अर्पण चौधरी उ0नि0 मय जाप्ता की एक विशेष टीम गठित की गई थी। उक्त टीम द्वारा अथक प्रयास कर उक्त फरार अभियुक्त के बारे में सूचनायें प्राप्त की एवं अभियुक्त के ढक्कन नगर अहमदाबाद पहुंचने की सूचना पर टीम द्वारा उक्त फरार अभियुक्त को अहमदाबाद जाकर पकडने में सफलता प्राप्त की है।

उन्होंने बताया कि उक्त अभियुक्त की फरारी के सम्बन्ध में जीआरपी थाना गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर में प्रकरण पंजीवद्व है। अग्रिम कार्यवाही हेतु अभियुक्त को जीआरपी थाना गंगापुर सिटी को सुपुर्द किया गया है।

लूट के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जयपुर 19 अगस्त। पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री अनिल कुमार टांक ने बताया कि 8 अगस्त,2017 को गांव गुडा चम्बल थाना देवगढ जिला मुरैना मध्यप्रदेश निवासी पंकज पुत्र दलवीर जाति ठाकुर ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैं व मेरे तीन साथी बरसाना राधाकृष्ण मन्दिर पर जा रहे थे तो भीलमका चौराहे पर 18–20 व्यक्तियों ने हमें रोककर हथियारों के बल पर हमें डरा धमकाकर 93700 रूपये, पर्स व 4 मोबाइल फोन आदि लूट कर ले गये।

टांक ने बताया कि उक्त बदमाशों के विरूद्व थाना डीग पर प्रकरण पंजीवद्व कराया गया। थानाधिकारी थाना डीग श्री कन्हैयालाल पु0नि0 मय जाप्ता की एक टीम गठित की गई। उक्त टीम द्वारा कल 18 अगस्त,2017 की देर रात को गांव भीलमका में दबिश देकर उक्त मामले के आरोपी सम्मन, जाहिर पुत्र इस्सर व जावेद उर्फ जब्बी पुत्र हाकम जाति मेव निवासी भीलमका थाना डीग को गिरफतार किया गया है।

उक्त आरोपी जब्बी उर्फ जावेद थाना सीकरी से डकैती के मुकदमा में फरार चल रहा है तथा आरापी सम्मन के विरूद्व थाना बडौदा मेव पर टटलू का मुकदमा दर्ज है। गिरफतार किये गये आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ंजिनसे और भी कई वारदाते का खुलने की सम्भावना है।

राही/ सन्तरा/601–02/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।